न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 341 सन 2022

अनवान :–

1. अमन पुत्र शेराराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक एव बडे पापा श्योकरण पुत्र पोकरराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मनीषा पुत्री शेराराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक एव बडे पापा श्योकरण पुत्र पोकरराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मन्जू पत्नी स्व शेरराम तथाकथित पत्नी सुनील जाति जाट साकिन रातूसर तहसील नोहर हाल निवासी सोआ का बास मोहल्ला रूपनगर तहसील फतेहरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा रातूसर के खाता संख्या 62/58 की कुल 25.7040हैक में से 1/7 हिस्सा शेराराम वल्द पोकरराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में शेराराम के पिता पोकरराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से शेराराम पुत्र पोकरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वर्तमान में शेराराम वल्द पोकरराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नी /पुत्र/पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादीया संख्या 1 जो शेराराम की भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 1 मन्जु ने अपने पति शेराराम पुत्र पोकरराम को मार कर अन्य सुनील नामक व्यक्ति के साथ चली गई और वर्तमान में भी सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्रसिह के साथ ग्राम सोआ का बास रूपनगर अठावास तहसील फतेहबाद में निवास कर रही है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है अन्य किसी के साथ रहने के कारण वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वाद भूमि जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज है के वादीगण बहिब के हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक हिस्सा नही वाद भूमि वादीगण बहिब अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके मृतक पति शेराराम वल्द पोकरराम के नाम से दर्ज है जो उनके पिता के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है तथा वादीगण का पिता एव प्रतिवादी संख्या 1 के पति का देहानत

उपखण्डाधिकारी (राज.)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

होने के प्रतिवादीया सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्रसिह के साथ करेवा कर लिया है तथा वर्तमान में भी उसी के साथ निवास कर रही है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातूसर के खाता संख्या 62/58 की कुल 25.7040हैक में से 1/7 हिस्सा शेराराम वल्द पोकरराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में शेराराम के पिता पोकरराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से शेराराम पुत्र पोकरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वर्तमान में शेराराम वल्द पोकरराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नी /पुत्र/पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादीया संख्या 1 जो शेराराम की भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 1 मन्जु ने अपने पति शेराराम पुत्र पोकरराम को मार कर अन्य सुनील नामक व्यक्ति के साथ चली गई और वर्तमान में भी सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्रसिह के साथ ग्राम सोआ का बास रूपनगर अठावास तहसील फतेहबाद में निवास कर रही है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है अन्य किसी के साथ रहने के कारण वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है वाद भूमि जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज है के वादीगण बहिब के हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातूसर के खाता संख्या 62/58 की कुल 25.7040हैक में से 1/7 हिस्सा शेराराम वल्द पोकरराम के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि विरास्तन से उसके पिता शेराराम पुत्र पोकरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी वादीगण के पिता का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया /पत्नी है तथा वादीगण की माता व शेराराम पुत्र पोकरराम की पत्नी ने अन्य करेवा कर लिया है इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनो को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि जो शेराराम पुत्र पोकरराम के नाम से दर्ज है में उसका कोई हक हिस्सा नही है क्योकि उसने सुनील कुमार से करेवा कर लिया है उसी के साथ निवास करती है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 62/58 की कुल 25.7040हैक में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक शेराराम वल्द पोकरराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/14 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमन पुत्र शेराराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक एव बडे पापा श्योकरण पुत्र पोकरराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मनीषा पुत्री शेराराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षक एव बडे पापा श्योकरण पुत्र पोकरराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मन्जू पत्नी स्व शेरराम तथाकथित पत्नी सुनील जाति जाट साकिन रातूसर तहसील नोहर हाल निवासी सोआ का बास मोहल्ला रूपनगर तहसील फतेहरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 341 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 62/58 की कुल 25.7040हैक में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक शेराराम वल्द पोकरराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/14 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/14 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner